भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 698
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र

698. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन औषधि केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या में वृद्धि के लिए कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्य योजना तैयार की गई है;
(ग) कर्नाटक में स्थापित जन औषधि केन्द्रों की जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार देश भर में जन औषधि केन्द्रों में और अधिक दवाओं को सम्मिलित करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, सरकार ने 31 मार्च, 2027 तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने का लक्ष्य रखा है।

तदनुसार, कर्नाटक सहित पूरे देश से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्यमी अपनी पसंद के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग्रामीण कवरेज को बढ़ाने के लिए, देश के आंतरिक भागों में पीएमबीजे केंद्रों के लाभों को अधिकाधिक फैलाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में पीएमबीजेके खोले जा रहे हैं। दिनांक 30.06.2024 तक, देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में 574 पीएमबीजे केंद्र खोले गए हैं। इनमें से 17 पीएमबीजे केंद्र कर्नाटक में खोले गए हैं।

(ग): दिनांक 30.06.2024 तक कर्नाटक राज्य में कुल 1,225 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। कर्नाटक में खोले गए पीएमबीजेके की जिला-वार सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(घ) और (ङ): पीएमबीजेपी के तहत, व्यापक उपलब्धता के लिए 2047 दवाओं और 300 सर्जिकल और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों को उत्पाद संख्या में लाया गया है। पीएमबीजेपी के कामकाज में सुधार के लिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के लिए न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया जा रहा है। भंडारण अधिदेश के अन्तर्गत इन केंद्रों पर 200 दवाओं की उपलब्धता होनी आवश्यक है, जिनमें पीएमबीजेपी उत्पाद संख्या की शीर्ष 100 बिकने वाली दवाएं और बाजार में तेजी से बिकने वाली 100 दवाएं शामिल हैं।

सुगम आपूर्ति और उत्पादों की उपलब्धता के लिए, एक आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को भी लागू किया गया है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 36 वितरक भी नियुक्त किए गए हैं।

अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में जनऔषधि केन्द्र के संबंध में श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण

दिनांक 30.06.2024 तक कर्नाटक में खोले गए पीएमबीजेके की जिला-वार सूची		
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**खोले गए पीएमबीजेके की संख्या**
1	बागलकोट	26
2	बल्लारी	23
3	बेलगावी	20
4	बेंगलुरु ग्रामीण	29
5	बेंगलुरु शहरी	353
6	बीदर	23
7	चामराजनगर	12
8	चिक्कबल्लापुरा	12
9	चिक्कमगलुरू	21
10	चित्रदुर्ग	18
11	दक्षिण कन्नड़	105
12	दावणगेरे	33
13	धारवाड़	40
14	गडग	14
15	हसन	21
16	हावेरी	33
17	कालाबुरागी	27
18	कोडगु	19
19	कोलार	16
20	कोप्पल	21
21	मांड्या	41
22	मैसूर	66
23	रायचुर	23
24	रामानगर	14
25	शिवमोगा	34
26	तुमकुरू	36
27	उडुपी	61
28	उत्तर कन्नड	25
29	विजयनगर	8
30	विजयपुरा	39
31	यादगीर	12
कुल		**1225**

*****